Private Sector in marketing of LPG

2475. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government have allowed private sector for import and distribution of LPG in country;

(b) if so, on what terms and conditions;

(c) what population will be covered by private L.P.G. distributors; and

(d) what rate will be charged and what concessions have been allowed to them by Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) Yes Sir.

(b) to (d) Under the Parallel Marketing System, private agencies can import and market LPG using/setting up their own infrastructure and distribution network at market determined prices under their own terms to domestic, non-domestic and industrial customers. They will have to obtain necessary approvals under the relevant Acts/Rules regarding safety, pollution control, etc., as applicable. Under the LPG (Regulation of Supply and Distribution) Order, 1993, the parallel marketeers are required to intimate their intention and capabilities to import, bottle, market and distribute or sell LPG before commencement of such activities and submit a monthly report giving details of the products imported by them. Besides, they have to furnish to the Government all the relevant particulars and information as may be required. The Government have allowed the use of port facilities of the Government Oil Companies on commercial terms, in order to promote the private sector undertake parallel marketing early.

Latters from M.Ps to the Ministry of Petroleum

2476. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the number of letters written by the Members of Parliament to his Ministry during the period from 1st April 1990 to 31st March, 1993 alongwith year-wise details thereof;

(b) what is the number of letters out of them that were acknowledged;

(c) what is the number of letters in respect of which final replies were sent; and

(d) what is the breakup of final letters issued by the Ministry containing positive and negative respectively?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) and (c) The number of references received from the Members of Parliament and the number of references replied to by the Ministry of Petroleum and Natural Gas from 1st April, 1990 to 31st March, 1993 were as under:—

Year	B.F.	Peferences received	Total	References replied	Balance
1st April '90 to 31st March, '91	..	5145	5145	3700	1445
1st April, '91 to 31st March, '92	1445	4115	5560	4454	1106
1st April, '92 to 31st March, '93	1106	5618	6724	5085	1639

(b) As far as possible, all references received from the Members of Parliament, where delay is anticiptted in sending final reply, are acknowledged promptly.

(d) Replies are sent after indepth examination of each case on the basis of relevant rules, regulations, policy and procedures. Therefore, it would not be possible to categorise the replies as positive or negative ones.

नए रसोई गैस सिलेंडर के साथ गैस चूल्हा खरीदने की कथित बाध्यता

2477. श्रीमती सरला माहेश्वरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस वितरक से नए रसोई गैस सिलेन्डर के साथ गैस चूल्हा खरीदना अनिवार्य है ;

(ख) यदि नहीं, क्या यह सच नहीं है कि रसोई गैस वितरण एजेंसियां हमेशा उपभोक्ताओं पर रसोई गैस सिलेन्डर के साथ गैस-चूल्हा खरीदने के लिए दबाव डालती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रसोई गैस वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को इस प्रकार परेशान किए जाने से बचाने हेतु कोई उपाए किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ग्राहक किसी भी स्रोत से हौट प्लेट खरीदने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि इस पर आई एस आई चिन्ह हो । डिस्ट्रीब्यूटरों को इससे संबंध में स्थायी निर्देश हैं कि वे उनसे होट प्लेट खरीदने के लिए जाने के लिए जोर न दें तथा उनसे यह अपेक्षित है कि वे अपने शोरूमों में सूचना लगाए कि ग्राहक के लिए यह आवश्यक नही है कि वह कनेक्शन देने वाले डिस्ट्रीब्यूटर से ही होट प्लेट खरीदें । अन्य बातों के साथ-साथ विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है जो ऐसे कदाचारों में लिप्त होते हैं । ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर तेल कम्पनियां तत्काल आवश्यक कार्यवाही करती है ।

मध्य प्रदेश में रेलवे नैटवर्क का विस्तरण

2178. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश राज्य में व्याप्त पिछड़ेपन को मद्देनजर रखते हुए रेलवे नेटवर्क में विस्तार करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) मध्य रेलवे अन्तर्गत वर्ष 1994–95 में किन-किन रेल लाइनों का विस्तार किए जाने का विचार है और क्या विस्तारण के किसी प्रस्ताव को सरकार द्वारा मंजूरी दी गयी है ;

(घ) इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) 1994–95 के रेल बजट में मध्य प्रदेश में विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय गुना-इटावा (348.25 कि०मी०) तथा देवास-मकसी के रास्ते गोधरा-इंदौर (316 कि0मी0)। नई रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है

इसके अलावा, हल्लीराजहरा-जगदलपुर नई रेल लाइन (235 कि०मी०) के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव योजना आयोग के पास